प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक / मं0स0 / मा0शि0 / (NOC) अनुभाग / /2010 मेरठ दिनांक : 3-1-11

विषय :- समसारा द वर्ल्ड एकोडमी, एच0एस0-21 सैक्टर-27 ग्रेटर नौएडा (गौतमबुद्धनगर) को सी0बी0एस0ई0, दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए विद्यालय के भू-अभिलेखों का सत्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निवेदन है कि आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार विद्यालयों के भू-अभिलेखों के सत्यापन आख्या में निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश किया जाना है। उक्त विद्यालय के भू-अभिलेखों की फोटो प्रतियां इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि भू-अभिलेख सत्यापन में इन बिन्दुओं का समावेश करके आख्या एवं संस्तुति यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को भिजवाने का कष्ट करें :-

(1) विद्यालय का संचालन किस ट्रस्ट / सोसायटी द्वारा किया जा रहा है। नाम तथा पंजीकरण, नवीनीकरण की स्थिति का उल्लेख।
(2) विद्यालय का भवन जिस भूमि पर बना है, उनकी माप (वर्गमीटर में)।
(3) भूमि / भवन ट्रस्ट / सोसायटी / विद्यालय किसके नाम है। राजस्व खतौनी में दर्ज होने की स्थिति।
(4) भूमि विकास प्राधिकरण / विकास परिषद / यू0पी0एस0आई0डी0सी0 से प्राप्त की गयी है, तो आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, पट्टा अभिलेख का भी उल्लेख किया जाये।
(5) भूमि प्राधिकरण / विकास परिषद / यू0पी0एस0आई0डी0सी0 / नगर निगम / ग्रामीण क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है।
(6) भूमि के कई गाटों में होने की स्थिति में क्या गाटे आपस में सटे है।
(7) भूमि यदि 30 वर्ष के लिए विद्यालय के नाम ली गयी है, तो पंजीकरण के आधार पर किसके स्वामित्व में है।
(8) इस भूमि भवन पर किसी अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त कर विद्यालय संचालित है या नही।
(9) विद्यालय में अग्नि शमन व्यवस्था होने के सम्बन्ध में समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
(10) विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार बने होने का समक्ष अधिकारी का प्रमाण पत्र।

भवदीय,

(वी0के0 सक्सेना)
संयुक्त शिक्षा निदेशक / सदस्य सचिव,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृ0सं0 / मं0स0 / मा0शि0 / (NOC) अनुभाग / 16492-94 /2010 तद् दिनांक।

1--प्रतिलिपि आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

2--प्रतिलिपि प्रबन्धक / प्रधानाचार्य, समसारा द वर्ल्ड एकोडमी, एच0एस0-21 सैक्टर-27 ग्रेटर नौएडा (गौतमबुद्धनगर) को इस निर्देश के साथ प्रेषित की भू-अभिलेखों के सत्यापन में राजस्व विभाग के अधिकारियों का सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

(वी0के0 सक्सेना)
संयुक्त शिक्षा निदेशक / सदस्य सचिव,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

PRINCIPAL
Samsara The World Academy
Greater Noida

Meerut Public Shiksha Prasar Samiti
Manager

D:\MN DOC (NEERAJ) H-2\NOC\MHG CONDITIONS VARIFICATION LTR.doc 40

7. यह कि "द्वितीय पक्ष" किसी भी दशा में प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना पट्टा भूखण्ड का अभपर्ण, परित्याग (प्राधिकरण के पक्ष के अतिरिक्त) न करेगा और न बन्धक रखेगा और ना ही उसे शिकमी उठायेगा ना अन्तरित करेगा और ना ही उस पर होने वाले दखल को छोड़ेगा। प्राधिकरण को अपने विवेकानुसार ऐसी अनुमति प्रदान किये जाने की दशा में प्राधिकरण हस्तान्तरिती से अपने साथ अनुबन्ध किया जाने की अपेक्षा करेगा, जिसे प्राधिकरण प्रस्तुत करें।

8. यह कि "द्वितीय पक्ष"/पट्टा भूखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्र से कम उसके किसी भाग को तथा उस पर बनी विद्यालय की इमारत को उसके किसी भाग को या दोनों को न तो अभ्यार्पित व परित्याग करेगा और न ही उन्हें बन्धक रखेगा, और न शिकमी उठायेगा और न अन्तरित करेगा और न वह पुनः खण्डित करेगा या किसी अन्य प्रकार से उनका उपविभाजन करेगा।

9. भूखण्ड का प्रयोग जूनियर हाईस्कूल आवासीय के निर्माण के लिए किया जायेगा अन्य किसी प्रयोग में भूमि नहीं लाई जायेगी। भवन किसी व्यक्ति को रहने के लिए किराये पर नहीं दिया जायेगा। विद्यालय के भवन का प्रयोग केवल विद्यालय के बच्चों के लिए ही किया जायेगा। ऐसा न करने पर प्राधिकरण को भूमि को निर्माण सहित वापिस लेने का अधिकार सुरक्षित है।

10. यह कि "द्वितीय पक्ष" उक्त परिसर व उसपर निर्मित स्थल के पूर्ण या किसी भू-भाग का सार्वजनिक रूप से धार्मिक स्थल एवं किसी ऐसे उपयोग में नहीं लायेगा जिससे किसी प्रकार की कोई अशान्ति उत्पन्न होती हो अथवा पास-पड़ोस में भूखण्ड धारकों को बाधा या क्षति पहुँचती हो। उक्त भूमि का भू-उपयोग शैक्षिणक संस्था जूनियर हाई स्कूल के रूप में ही किया जायेगा और अन्यथा प्रयोग नहीं करेगा और न ही करने की अनुमति देगा, इसका उल्लंघन करने पर विधि द्वारा लगाये गये दण्ड का द्वितीय पक्ष भागी होगा।

11. यह कि "द्वितीय पक्ष" प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों, अधीनस्थों, कर्मचारियों और उसके कर्मकारों तथा उसके द्वारा समय-समय पर सेवायोजित अन्य व्यक्तियों को उक्त अवधि के दौरान सभी समुचित समस्याओं पर पट्टा भूखण्ड तथा उस पर निर्माण किये जाने वाली भवन में प्रवेश करने की अनुमति देगा, जिससे कि वे निर्माण विकास व अन्य कार्यों का निरीक्षण निर्विघ्न कर सकें।

12. यह कि "द्वितीय पक्ष" प्राधिकरण विहित शिल्पकला तथा अभियंत्रण के अनुसार भवन का निर्माण करेगा।

13. यह कि "पट्टेदार" कोई भी निर्माण/विकास कार्य करने से पूर्व उत्तर प्रदेश विकास योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। द्वितीय पक्ष पर प्राधिकरण क्षेत्र में लागू उपविधियों तथा मास्टरप्लान के प्रावधान लागू होंगे।

14. यह कि उक्त भूमि का उपयोग केवल शैक्षिणिक संस्था हेतु जूनियर हाईस्कूल के लिए ही किया जायेगा।

15. यह कि यदि अग्नि, प्लावन, बाढ़ या सेवा या अनियन्त्रण भीड़ द्वारा हिंसात्मक कार्यों या अन्य अप्रतिरोध्य शक्ति प्रयोग के कारण पट्टा भूखण्ड या उसका

Meerut Public Shiksha Prasar Samiti

Manager

PRINCIPAL
Samsara The World Academy
Greater Noida